भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation
and Farmers Welfare
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Vivek Aggarwal, IAS
Joint Secretary & CEO, PM-KISAN

अ.शा. पत्र स. 08/2020

दिनांक 20 दिसंबर, 2020

प्रिय श्री दर्शनपाल जी,

आपके द्वारा भेजी गई ई-मेल दिनांक 16.12.2020 का संदर्भ लें, जो भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.12.2020 को किसान संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रेषित लिखित प्रस्ताव के संदर्भ में है। आप अवगत ही हैं कि इस प्रस्ताव को प्रेषित किए जाने के पूर्व भारत सरकार की मंत्री स्तरीय समिति के साथ किसान संगठनों की कई दौर की वार्ता हुई थी। आपके द्वारा भेजा गया ई-मेल द्वारा उत्तर अत्यंत संक्षिप्त में है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह आपका अपना विचार है अथवा सभी संगठनों का भी यह मत है। यह भी अनुरोध है कि भेजे गए उत्तर में किस कारण से प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

किसान संगठन जब पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भारत सरकार के कृषि सचिव द्वारा संगठनों को दिनांक 08.10.2020 की तिथि हेतु वार्ता का निमंत्रण भेजा गया था। पहला निमंत्रण अस्वीकार होने के बाद पुनः विनम्रता से कृषि सचिव द्वारा वार्ता का निमंत्रण दिया गया था। दूसरे निमंत्रण पर दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 को कृषि भवन में समस्त किसान संगठनों के साथ कृषि सचिव ने वार्ता की थी। इस वार्ता में कृषि सचिव द्वारा कृषि कानूनों के समस्त पहलुओं पर चर्चा करनी चाही थी, जिसे उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा सुनने से इन्कार कर दिया गया। भारत सरकार प्रारंभ से ही खुला मन रखकर हमेशा वार्ता से समाधान करने का प्रयास करती रही है।

पंजाब में रेलों के रूकने से हुई जन कठिनाई को देखते हुए एक मंत्रीय स्तरीय समिति जिसमें माननीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, माननीय खाद्य उपभोक्ता मामला, उद्योग एवं रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी एवं माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री श्री सोमप्रकाश जी सम्मलिति थे, द्वारा पुनः आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को चर्चा हेतु दिल्ली आमंत्रित किया गया। यह वार्ता 13 नवंबर,

2020 को हुई और इस वार्ता में भी पुनः खुले मन से कृषि कानूनों की सभी धाराओं पर चर्चा का प्रस्ताव दिया गया। इस वार्ता में यह भी अनुरोध किया गया कि समस्त आशंकाओं के समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें किसान प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों और जब तक यह समिति विचार-विमर्श करे तब तक आंदोलन स्थगित कर दिया जाए और पंजाब में मालगाड़ियां तथा पैसेंजर गाड़ियां चलने दी जाएं। इस वार्ता में भी सरकार के प्रस्ताव को विचार में नहीं लिया गया और 26 नवंबर के आंदोलन की घोषणा की गई।

मंत्री स्तरीय समिति द्वारा पुनः विनम्रता के साथ और समस्त राष्ट्र के किसानों का हित देखते हुए पंजाब के समस्त आंदोलनरत संगठनों को वार्ता हेतु 3 दिसंबर, 2020 की तिथि निश्चित करते हुए आमंत्रण दिया। उपरोक्त आमंत्रण प्राप्त होने के बावजूद भी किसान संगठनों द्वारा आंदोलन जारी रखते हुए 26 नवंबर को दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली बोर्डर के आगमन पर, संगठनों की मांग अनुसार दिल्ली के अंदर बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान को चिन्हित कर आंदोलन करने की अनुमति दी गई। कुछ किसान बुराड़ी के मैदान में पहुंचे भी। इस धरना स्थल पर शांतिपूर्वक आंदोलन हेतु समस्त सुरक्षा, स्वच्छता, पीने के पानी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती थी और इस हेतु व्यवस्थाएं प्रारंभ भी की गई। आंदोलन शीघ्रता से समाप्ति की ओर जा सके, इसलिए पूर्व में दी गई वार्ता की तिथि, जो कि 3 दिसंबर थी, को 1 दिसंबर किया गया और पुनः आमंत्रण भेजा गया।

दिनांक 1 दिसंबर, 2020 में समस्त पहलुओं पर सरकार द्वारा अपना पक्ष रखने का प्रयास किया गया। परंतु उपस्थित संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा उसे नकार दिया गया। दिनांक 03.12.2020 को विज्ञान भवन में हुई बैठक में संगठनों द्वारा चर्चा में उठाए गए सभी बिंदुओं तथा पूर्व में प्रस्तुत लिखित मेमोरेंडम के आधार पर, निराकरण हेतु मुद्दे चिन्हित किए गए थे। चिन्हित मुद्दे मूलतः कृषि सुधार कानूनों के संबंध में थे। जब मंत्री स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रहे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा मुद्दों को रखा जा रहा था, तब किसान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक तथा पराली को जलाने पर जुर्माने के बिंदु भी जोड़ने को कहा गया। माननीय कृषि मंत्री जी, भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, ये दोनों अतिरिक्त मुद्दे भी निराकरण हेतु

होगा। दिनांक 03.12.2020 की बैठक के अंत में यह तय हुआ था कि अगली बैठक में चिन्हित मुद्दों पर आगे चर्चा होगी। इस बैठक की समाप्ति पर अगले दौर की बैठक हेतु 5 दिसंबर की तिथि तय की गई परंतु इस सहमति के उपरांत भी 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा कर दी गई।

अगले दौर की वार्ता दिनांक 05.12.2020 को हुई, जिसमें पुन दिनांक 03.12.2020 की वार्ता के दौरान चिन्हित बिंदुओं को विस्तृत चर्चा के लिए रखा गया। इस वार्ता में किसान संगठनों द्वारा सरकार को ठोस प्रस्ताव देने के लिए कहा गया। किसान संगठन द्वारा 03.12.2020 को चिन्हित बिंदुओं पर उस दिन विस्तृत चर्चा नहीं की गई एवं तीनों कानूनों को वापस लेने के संबंध में हां या ना के बैनर दिखाए गए जिससे वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। पुनः 08.12.2020 को माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निश्चित हुआ था कि उठाए गए मुद्दों के संबंध में भारत सरकार एक विस्तृत लिखित प्रस्ताव भेजेगी, जिसको आंदोलनरत किसान संगठनों के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। इन्हीं वार्ताओं के नतीजे के आधार पर सरकार द्वारा दिनांक 09.12.2020 को चिन्हित मुद्दों के संबंध में विस्तृत लिखित प्रस्ताव दिया गया।

विभिन्न दौर की वार्ताओं में यह बार-बार अनुरोध किया गया कि वर्तमान ठंड एवं कोविड को देखते हुए 60 वर्ष से अधिक आयु के आंदोलनरत किसान, महिलाओं एवं बच्चों को वापस जाने हेतु यथा आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास सभी किसान संगठनों को करना चाहिए।

किसान संगठनों से हुई चर्चा में चिन्हित मुद्दों जैसे कि प्राइवेट मंडियों में किसी प्रकार की कोई फीस टैक्स या लैवी नहीं लगना, एपीएमसी मंडी के बाहर व्यापारियों के लिए केवल पैन कार्ड की आवश्यकता होना, सिविल न्यायालय की अधिकारिता न होना, कृषि करारों के पंजीकरण की व्यवस्था ना होना, कॉंट्रेक्ट फार्मिंग होने से किसानों की भूमि के मालिकाना हक पर खतरा, एमएसपी पर खरीदी की सरकारी व्यवस्था को चालू रखना, बिजली संशोधन विधेयक द्वारा किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तथा किसानों को पराली जलाने पर अत्याधिक दंड व जुर्माने के प्रावधान पर सरकार द्वारा विस्तृत लिखित प्रस्ताव दिया गया था।

देश के किसानों के सम्मान में एवं पूरे खुले मन से केंद्र सरकार पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समुचित समाधान के लिए प्रयासरत है अतः भारत सरकार द्वारा वर्तमान आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता की गई। इसके अतिरिक्त इन विषयों पर देश के अन्य किसान संगठनों के सुझावों अभिमत के संबंध में भी वार्ता के द्वार खुले रखे एवं उनकों भी सुनकर उनके अभिमत/सुझावों को भी सुनने हेतु वार्ता का अवसर प्रदान किया गया है। भारत सरकार की ओर से लगातार आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग भी वार्ता का प्रयास किया जाता रहा है।

अतः विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं को पूर्व आमंत्रित आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के समक्ष रख चर्चा उपरांत शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा पुनःवार्ता हेतु सुविधा अनुसार तिथि अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पुनः बैठक आयोजित करके समाधान किया जा सके, जिससे वर्तमान आंदोलन शीघ्र समाप्त हो।

सादर,

भवदीय,

(विवेक अग्रवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

डॉ. दर्शनपाल,
स्टेट प्रेजिडेंट,
क्रांतिकारी किसान यूनियन, पंजाब।

प्रतिलिपि:

1. कुलवंत सिंह संधू, जनरल सेक्रेटरी, जमूहरी किसान सभा, पंजाब
2. बूटा सिंह बुर्जगिल, प्रेजिडेंट, भारतीय किसान सभा, दकौंदा
3. बलदेव सिंह निहालगढ, जनरल सेक्रेटरी, कुल हिंद किसान सभा, पंजाब
4. निरभाई सिंह धुदिकें, प्रेजिडेंट, क्रीति किसान यूनियन
5. रुलदु सिंह मानसा, प्रेजिडेंट, पंजाब किसान यूनियन

6. मेजर सिंह पुन्नावल, जनरल सेक्रेटरी, कुल हिंद किसान सभा, पंजाब
7. इंद्रजीत सिंह कोट बुद्धा, प्रेजिडेंट, किसान संघर्ष कमेटी, पंजाब
8. हरजिंदर सिंह टांडा, प्रेजिडेंट, आजाद किसान संघर्ष कमेटी, पंजाब
9. गुरबक्श सिंह बरनाला, जय किसान आंदोलन, पंजाब
10. सतनाम सिंह पन्नु, प्रेजिडेंट, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, पंजाब
11. कनवलप्रीत सिंह पन्नु, प्रेजिडेंट, किसान संघर्ष कमेटी, पंजाब
12. जोगिंदर सिंह उग्राहा, प्रेजिडेंट, भारतीय किसान यूनियन- एकता-उग्राहा
13. सुरजीत सिंह फूल, प्रेजिडेंट, भारतीय किसान यूनियन-क्रांतिकारी
14. जगजीत सिंह दालेवाल, स्टेट प्रेजिडेंट, भारतीय किसान यूनियन-सिधुपुर
15. हरमीत सिंह, स्टेट प्रेजिडेंट, भारतीय किसान यूनियन- क्यूदियन
16. बलबीर सिंह राजेवल, स्टेट प्रेजिडेंट, भारतीय किसान यूनियन- राजेवल
17. सतनाम सिंह साहनी, जनरल सेक्रेटरी, भारतीय किसान यूनियन-दाओबा
18. बोघ सिंह मानसा, प्रेजिडेंट, भारतीय किसान यूनियन-मानसा
19. बलविंदर सिंह ओलख, माझा किसान कमेटी
20. सतनाम सिंह बेहरू, प्रेजिडेंट, इंडियन फार्मर एसोशिएशन ऑफ इंडिया
21. बुटा सिंह शादीपुर, प्रेजिडेंट, भारतीय किसान मंच
22. बलदेव सिंह सिरसा, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी
23. जंगबीर सिंह टांडा, दाओबा किसान समिति
24. मुकेश चंद्रा, दाओबा किसान संघर्ष कमेटी
25. सुखपाल सिंह डाफ्फर, प्रेजिडेंट, गन्ना संघर्ष कमेटी
26. हरपाल सांघा, आजाद किसान कमेटी, दाओबा
27. बलदेव सिंह मियांपुर, भारतीय किसान यूनियन- मान
28. कृपाल सिंह नाथुवाला, किसान बचाओ मोर्चा
29. परमिंदर सिंह पाल माजरा, भारतीय किसान यूनियन लखेवाल
30. प्रेम सिंह भंगू, कुल हिन्द किसान फेडरेशन
31. किरणजीत सेखों, कुल हिन्द किसान फेडरेशन
32. श्री गुरनाम सिंह चथूनी, भारतीय किसान यूनियन
33. श्री हनान मोला, कुल हिंद किसान संघर्ष तालमेल कमेटी
34. श्री शिवकुमार कक्का, सर्व हिंद राष्ट्रीय किसान महासंघ
35. श्री राकेश टिकैत, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन
36. श्री चौधरी हरपाल सिंह बिलारी, भारतीय किसान यूनियन (असली अराजनैतिक)
37. सुश्री कविता कुरुगुंटी, महिला अधिकार मंच
38. श्री ऋषिपाल अमावता, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (अमावता)
39. श्री अभिमन्यू कौहार, प्रवक्ता, राष्ट्रीय किसान महासंघ